

प्रेषक,

शंभू शरण, भा० प्र० से०

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:- सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-17/01/2025

विषय:- मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त मॉडल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 2,00,54,400/- (रुपये दो करोड़ चौवन हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त मॉडल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 2,00,54,400/- (रुपये दो करोड़ चौवन हजार चार सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (BMSICI) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संपुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह संपुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छ. मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

- (vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3— यह कार्य गाग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-0102-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-20-4210021030102, विषय शीर्ष-(53-01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

4— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5— अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6— बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में सरामय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

7— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2027 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9— प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-07.01.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापक-336(7), दिनांक-09.01.2025 के क्रम संख्या-03 में स्वीकृति प्राप्त है।

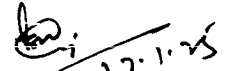
10— प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11— प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-32/2024-25 के पृष्ठ-09/टि० में प्राप्त है।

12— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

13— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

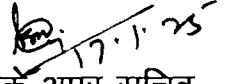
झापाक:-

362 (7)

/रवा0, पटना, दिनाक--17 / 01 / 2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रगडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमडल, मुंगेर/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरधना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रगडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्साक— सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, राचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव
